छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 01/2019/परीक्षा/दिनांक 10/01/2019 प्रकाशन की तिथि 16/01/2019

:: विज्ञापन ::

प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, सह प्राध्यापक (तकनीकी शिक्षा विभाग) के पद पर सीधी भर्ती

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 15/02/2019 मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 16/03/2019 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तो को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तो को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तो को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तो की जॉच करता है।
3. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/कैश डिपोजिट के माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक **15/02/2019** को मध्यान्ह 12:00 बजे से **16/03/2019** रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
5. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक **19/03/2019** अपरान्ह 12:00 बजे से **25/03/2019** रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
6. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रुप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के **तकनीकी शिक्षा विभाग** के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:–

स.क्र	पद तथा विभाग का नाम		कुल रिक्तियों की **वर्गवार** संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से **केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से **निःशक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	**योग**
			अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)**											
1	सूचना प्रौद्योगिकी	Information Technology	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	माइनिंग	Mining	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
B	**सह प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय)**											
1	सिविल (बैकलॉग)	Civil	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
2	मेकेनिकल	Mechanical	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
3	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन (बैकलॉग)	Electronics & Telecommunication	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
4	इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	Electrical & Electronics	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	(बैकलॉग)		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
5	माइनिंग	Mining	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	(बैकलॉग)		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6	सूचना प्रौद्योगिकी	Information Technology	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	(बैकलॉग)		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
7	गणित (बैकलॉग)	Mathematics	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
8	भौतिकी (बैकलॉग)	Physics	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
9	रसायन (बैकलॉग)	Chemistry	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

क्रमशः

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम		कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग
			अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	विभागाध्यक्ष (पॉलीटेक्निक संस्था)											
1	सिविल	Civil	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	(बैकलॉग)		-	1	3	-	-	-	-	-	-	4
2	इलेक्ट्रिकल	Electrical	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
	(बैकलॉग)		-	1	3	-	-	-	-	-	-	4
3	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन (बैकलॉग)	Electronics & Telecommunication	-	1	3	1	-	-	-	-	-	5
4	माइनिंग (बैकलॉग)	Mining	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
5	सूचना प्रोद्यौगिकी	Information Technology	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	(बैकलॉग)		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6	मेकेनिकल (बैकलॉग)	Mechanical	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
7	कम्प्यूटर साईंस (बैकलॉग)	Computer Science	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
8	मेटलर्जी (बैकलॉग)	Metallurgy	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	तकनीकी शिक्षा विभाग											
											कुल योगः–	41

Abbreviations used: OA = One Arm

<u>महत्वपूर्ण टीप :–</u>

1. **पदों की संख्या परिवर्तनीय है।**
2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियम के अनुरुप प्रकाशित किया जा रहा है।
3. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।
4. छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन (OA) ही मान्य होंगे।
5. **रिक्तियों में आरक्षण :–**

(i) उपर्युक्त तालिका के कालम नंबर 4, 5 एवं 6 में दर्शित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं एवं उपर्युक्त तालिका के कॉलम नंबर 7, 8, 9 एवं 10 केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित है।

(ii) **छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी (छत्तीसगढ़ राज्य के अनारक्षित एवं छत्तीसगढ़ राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्य के अभ्यर्थी) के आवेदन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आएंगे।**

6. स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रासंगिक शाखाओं की सारणी <u>परिशिष्ट 'एक'</u> एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी <u>परिशिष्ट 'दो'</u> में उल्लेखित है।
7. <u>**ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।**</u>

(2) <u>पद का विवरण, शैक्षणिक अर्हताः–</u>

(A) <u>प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय):–</u>

(i) श्रेणी :– राजपत्रित–प्रथम श्रेणी

(ii) वेतनमान :– रु.37400–67000 + ग्रेड वेतन रु. 10000

(iii) <u>आवश्यक शैक्षणिक अर्हताः–</u>

<u>पद क्रमांक (1) सूचना प्रौद्योगिकी (2) माइनिंग विषय के लिए:–</u>

शैक्षणिक अर्हताः–

1. संबंधित संकाय में बी.ई./बी.टेक और एम.ई./एम.टेक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष चाहे बी.ई./बी. टेक और एम.ई./एम.टेक में से कोई भी हो, और
यथोचित संकाय में पीएच.डी. अथवा समकक्ष।
2. पोस्ट पीएच.डी. प्रकाशन तथा पीएच.डी. छात्रों को गाइड करना, अत्यंत वांछनीय।

अनुभवः–

शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से एसोसिएट प्रोफेसर (सह प्राध्यापक) स्तर पर न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

अथवा

शिक्षण और/या शोध और/या उद्योग में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव।

शोध अनुभव के मामले में बेहतर शैक्षणिक रिकार्ड तथा पुस्तक/शोधपत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटो के रिकार्ड, चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा, आवश्यक समझे जाने पर, अपेक्षित होंगे।

यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए, जो एसोसिएट प्रोफेसर (सह प्राध्यापक) के समकक्ष हो साथ ही डिजाइनिंग, आयोजन, कार्यकारी, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध–पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटो, आदि के रुप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसा कि चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाये।

(iv) परिवीक्षा अवधि :– चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति **02 वर्ष** की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(B) <u>सह प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय):–</u>

(i) श्रेणी :– राजपत्रित–प्रथम श्रेणी

क्रमशः

(ii) वेतनमान :— रु.37400—67000 + ग्रेड वेतन रु. 9000

(iii) आवश्यक शैक्षणिक अर्हताः—

पद क्रमांक (1) सिविल (2) मेकेनिकल (3) इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन (4) इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स (5) माइनिंग (6) सूचना प्रौद्योगिकी विषय के लिए :—

शैक्षणिक अर्हताः—

1. संबंधित संकाय में बी.ई./बी.टेक और एम.ई./एम.टेक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष चाहे बी.ई./बी. टेक और एम.ई./एम.टेक में से कोई भी हो, और
यथोचित संकाय में पीएच.डी. अथवा समकक्ष।
2. पोस्ट पीएच.डी. प्रकाशन तथा पीएच.डी. छात्रों को गाइड करना, अत्यंत वांछनीय।

अनुभवः—

शिक्षण/उद्योग/शोध कार्य में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव, जिसमें से 2 वर्षीय पोस्ट पीएच.डी. का अनुभव वांछनीय है।

पद क्रमांक (7) गणित (8) भौतिकी (9) रसायन के लिए :—

शैक्षणिक अर्हताः—

स्नातकोत्तर स्तर में संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंक या समतुल्य सीजीपीए तथा पीएच.डी. उपाधि।

अनुभवः—शिक्षण/शोध/उद्योग कार्य में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव (पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करने हेतु व्यतीत अवधि को छोड़कर), जिसमें से सहायक प्राध्यापक या उसके समतुल्य स्तर में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(iv) **परिवीक्षा अवधि** :— चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति **02 वर्ष** की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(C) **विभागाध्यक्ष (पॉलीटेक्निक संस्था):—**

(i) **श्रेणी :— राजपत्रित—प्रथम श्रेणी**

(ii) **वेतनमान :— रु.37400—67000 + ग्रेड वेतन रु. 9000**

(iii) **आवश्यक शैक्षणिक अर्हताः—**

पद क्रमांक (1) सिविल (2) इलेक्ट्रिकल (3) इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्यूनिकेशन (4) माइनिंग (5) सूचना प्रौद्योगिकी (6) मेकेनिकल (7) कम्प्यूटर साईस (8) मेटलर्जी विषय के लिए:—

शैक्षणिक अर्हताः—

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें स्नातक अथवा स्नातकोत्तर किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष।

टिप्पणीः— अध्यापन/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्षो का प्रासंगिक अनुभव।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें स्नातक अथवा स्नातकोत्तर किसी एक स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के उपयुक्त विषयक्षेत्र में पीएच.डी. अथवा समकक्ष।

टिप्पणीः— अध्यापन/शोध/उद्योग में न्यूनतम 5 वर्षो का प्रासंगिक अनुभव।

(iv) **परिवीक्षा अवधि** :— चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति **02 वर्ष** की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(3) टीप :—

(i) शिक्षकीय पदों की शैक्षणिक अर्हता के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा जारी नियम/विनियम/निर्देश/अनुशंसा लागू होंगे।

(ii) स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रासंगिक शाखाओं की सारणी **परिशिष्ट—'एक'** में उल्लेखित है।

महत्वपूर्ण नोटः—

(i) **अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का "प्रमाण—पत्र" ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं के प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होंगे।**

(ii) **ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।**

(4) निर्धारित आयु सीमाः—

★ प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) एवं विभागाध्यक्ष (पॉलीटेक्निक संस्था) के लिएः— अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2019 को 58 वर्ष से अधिक न हो,

★ सह प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) के लिएः— अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2019 को 50 वर्ष से अधिक न हो,

(ii) **आयु की गणना दिनांक — 01.01.2019** के संदर्भ में की जाएगी।

(5) **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन—पत्र भरें।** परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा **चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन—पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।**

(6) **साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जानाः—** साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।

(i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।

(iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण—पत्र यथा—स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। **अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र आयोग को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी की गई उपाधि/अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा।**

(iv) जाति प्रमाण पत्र :—

(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।**

(b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तद्नुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।

(c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।

क्रमशः

(7) नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र :–

(i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग / निगम / मंडल / उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत / अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख को "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" सीधे आयोग को भेजने के लिए निवेदन करते हुए आवेदन कर पावती प्राप्त करते हुए इसे सुरक्षित रखना चाहिए।

(ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिस्वीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग / शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(8) आपराधिक अभियोजन :–

(A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:–

(i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या

(ii) पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो, या

(iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो / किया हो, या

(iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या

(v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

(vi) परीक्षा / साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

(vii) परीक्षा / साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(viii) परीक्षा / साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(ix) प्रवेश–पत्र / बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष / वीक्षक / प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

(xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर / परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन / संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।

(B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी–

(i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और / या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा–

(a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।

(b) राज्य शासन द्वारा या / उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि–

(i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(9) अनर्हताः– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :–

(i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रुप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रुप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(10) चयन प्रक्रिया :– विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार ऑनलाइन परीक्षा / साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन, निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं **अथवा** उच्च योग्यताओं **अथवा** दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा "केवल" साक्षात्कार द्वारा **अथवा** ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

टीपः– **यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो निम्नानुसार चयन किया जाएगाः–**

(i) उम्मीदवार का चयन ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने की स्थिति में परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम बाद में प्रकाशित किया जाएगा।

(iii) ऑनलाइन परीक्षा हेतु रायपुर एवं दुर्ग–भिलाई परीक्षा केन्द्र होगा।

क्रमशः

(11) ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :–

(i) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए रूपये **300/–** (रूपये तीन सौ) तथा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये **400/–** (रूपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

(ii) अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखने पर एक से अधिक विज्ञापित पदों हेतु आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी को प्रत्येक पद हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(12) ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में:– (यदि परीक्षा लेने का निर्णय लिया जाता है तो)

(i) आयोग द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) अभ्यर्थी आयोग को ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्न–पत्र में मुद्रण त्रुटि, प्रश्न–पत्र की संरचना एवं उत्तर में त्रुटि के संबंध में परीक्षा के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, शंकरनगर रोड, रायपुर को मय दस्तावेजी प्रमाणों के अभ्यावेदन/शिकायत प्रेषित कर सकता है, जो परीक्षा तिथि के 07 दिवस के भीतर आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाने चाहिए। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(13) यात्रा व्यय का भुगतान :–

(i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा–पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकिट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकिट किराया दिया जाएगा।

(ii) **साक्षात्कार के लिये** – साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकिट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार **कंडिका 13(i)** में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

(14) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):–

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही/–
सचिव,
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर

परिशिष्ट–एक,

''स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रासंगिक शाखाओं की सारणी''

क्र.	संवर्ग	मूल उपाधि (बी.ई. / बी.टेक.)	स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रासंगिक शाखा (एम.ई. / एम.टेक. / एम.एस.)	
1	2	3	4	
1	प्राध्यापक / सह – प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) एव विभागाध्यक्षक (पॉलीटेक्निक संस्था)	सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टेक.	सिविल इंजीनियरिंग	जियो मशीन्स एण्ड स्ट्रक्चर्स
			सिविल (इंवायरमेन्टल एण्ड पॉल्यूशन कन्ट्रोल)	जियोटेक्निकल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग
			सिविल (कन्सट्रक्शन टेक्नालॉजी)	जियोटेक्निकल एण्ड जियोइंवायरमेन्ट इंजीनियरिंग
			सिविल (इंवायरमेन्टल इंजीनियरिंग)	जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग
			सिविल (पब्लिक हेल्थ एवं इंवायरमेन्टल इंजीनियरिंग)	जियोटेक इंजीनियरिंग
			कन्सट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट	फ्रेक्चर मेकेनिक्स
			कन्सट्रक्शन इंजीनियरिंग	स्वाईल इंजीनियरिंग
			कन्सट्रक्शन इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट	स्वाईल मेकेनिक्स
			कन्सट्रक्शन मैनेजमेन्ट	स्वाईल मेकेनिक्स एण्ड फाउन्डेशन इंजीनियरिंग
			कन्सट्रक्शन प्लानिंग एण्ड मैनेजमेन्ट	स्ट्रक्चरल एण्ड फाउन्डेशन इंजीनियरिंग
			कन्सट्रक्शन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट	स्ट्रक्चरल डिजाईन
			जियोइनफरमेटिक्स एण्ड सर्वेईंग टेक्नालॉजी	स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग
			हाईवे इंजीनियरिंग	स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एण्ड कन्सट्रक्शन
			हाईवे टेक्नालॉजी	प्रिस्ट्रेस्ड कांक्रीट
			हाईड्रालिक्स एण्ड फ्लुड कंट्रोल	अर्थक्वेक इंजीनियरिंग
			हाईड्रालिक्स इंजीनियरिंग	स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एण्ड कन्सट्रक्शन मैनेजमेन्ट
			एरिगेशन एण्ड ड्रेनेज इंजीनियरिंग	जियोटेक्निकल एण्ड जियोइंवायरमेन्टल एनर्जी
			इरीगेशन इंजीनियरिंग	स्वाईल एण्ड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग
			टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग	
			ट्रेफिक एण्ड ट्रान्सपोर्टेशन प्लानिंग	
			ट्रेफिक एण्ड ट्रान्सपोर्टेशन इंजीनियरिंग	
			ट्रेफिक इंजीनियरिंग	
			ट्रान्सपोर्टेशन इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट	
			ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग	
			वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग	
			वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट	
			वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेन्ट	
			वाटर रिसोर्सेस एण्ड इंवायरमेन्टल इंजीनियरिंग	
			वाटर रिसोर्सेस एण्ड हाईड्रो इन्फार्मेटिक्स	
			अरबन प्लानिंग	
			बिल्डिंग साईंस एण्ड टेक्नालॉजी	
			इंवयरमेन्टल इंजीनियरिंग	
			ट्रान्सपोर्टेशन इंजीनियरिंग	
			स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग	
			स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एण्ड कन्सट्रक्शन मैनेजमेट	
			सिविल इंजीनियरिंग इंवायरमेन्ट एण्ड पलूशन कन्ट्रोल	
			कन्सट्रक्शन टेक्नालॉजी	
			कन्सट्रक्शन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट प्लानिंग	
			ट्रान्सपोर्टेशन इंजीनियरिंग एण्ड प्लानिंग	
			जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग	
			स्वाईल मेकेनिक्स	
			वाटर रिसोर्सेस एण्ड एरिगेशन इंजीनियरिंग	
			इंवायरमेन्टल इंजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट	
			जियोसाईसेज	
			रिमोट सेंसिंग एण्ड जियोइफर्मेटिक्स	
			प्लानिंग एण्ड डिजाईन	
			बिल्डिंग मटेरियल्स एण्ड कन्सट्रक्शन टेक्नालॉजी	
			इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग	
			अर्थक्वेक इंजीनियरिंग	
			जियो मेकेनिकल इंजीनियरिंग	
			जियोइंवायरमेन्टल इंजीनियरिंग	
			रिमोट सेंसिंग एण्ड जियोग्राफिकल इंफर्मेशन सिस्टम	
			जियोमेकेनिक्स एण्ड स्ट्रक्चर्स	
			कम्प्यूटर एडेड डिजाईन एण्ड स्ट्रक्चर्स	
			कम्प्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल एनालिसिस एण्ड डिजाईन	
			कम्प्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग	

क्रमशः

क्र.	संवर्ग	मूल उपाधि (बी.ई. / बी.टेक.)	स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रासंगिक शाखा (एम.ई. / एम.टेक. / एम.एस.)	
1	2	3	4	
2	प्राध्यापक / सह – प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) एवं विभागाध्यक्षक (पॉलीटेक्निक संस्था)	कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग या इन्फर्मेशन टेक्नालॉजी मे बी.ई. / बी.टेक.	कम्प्यूटर इंजीनियरिंग एण्ड एप्लीकेशन	हाई परफार्मेन्स कम्प्यूटिंग
			कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग	इंफर्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नालॉजी
			कम्प्यूटर नेटवर्किंग एण्ड इंजीनियरिंग	इंफर्मेशन सिक्यूरिटी
			कम्प्यूटर नेटवर्क्स	इंफर्मेशन सिक्यूरिटी मैनेजमेन्ट
			कम्प्यूटर नेटवर्क्स एण्ड इंफर्मेशन सिक्युरिटी	इंफर्मेशन सिस्टम
			कम्प्यूटर नेटवर्क एण्ड इंटरनेट सिक्यूरिटी	इंफर्मेशन टेक्नालॉजी
			कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग	इंफर्मेशन टेक्नालॉजी (आर्टिफिसियल इंटिलिजेन्स एण्ड रोबोटिक्स)
			कम्प्यूटर साईस एण्ड इंफर्मेशन सिक्यूरिटी	इंफर्मेशन टेक्नालॉजी (इंफर्मेशन एण्ड साईबर वारफेयर)
			कम्प्यूटर साईस एण्ड इंफर्मेशन सिस्टम	आई.टी. सिस्टम्स एण्ड नेटवर्क सिक्यूरिटी
			कम्प्यूटर साईस एण्ड इंफर्मेशन टेक्नालॉजी	नेटवर्क सिक्यूरिटी एण्ड मैनेजमेन्ट
			कम्प्यूटर साईस एण्ड सिस्टम इंजीनियरिंग	नेटवर्किंग एण्ड कम्युनिकेशन
			कम्प्यूटर साईस एण्ड टेक्नालॉजी	नेटवर्किंग एण्ड इंटरनेट इंजीनियरिंग
			कम्प्यूटर सिस्टम एण्ड टेक्नालॉजी	सापटवेयर इंजीनियरिंग
			कम्प्यूटर टेक्नालॉजी	सापटवेयर सिस्टम्स
			कम्प्यूटर टेक्नालॉजी एण्ड एप्लीकेशन	सिस्टम एण्ड नेटवर्क सिक्यूरिटी
			कम्प्यूटर विजन एण्ड इमेज प्रोसेसिंग	वेब टेक्नालॉजीज
			साईबर फोरेन्सिक्स	वायरलेस एण्ड मोबाईल कम्प्यूटिंग
			साईबर फोरेन्सिक एण्ड इन्फर्मेशन सिक्यूरिटी	कम्प्यूटर इंजीनियरिंग
			साईबर सिक्यूरिटी	इंफर्मेशन साईस एण्ड टेक्नालॉजी
			डाटा साईस एण्ड एनालिटिक्स	इंफर्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड इंजीनियरिंग
			डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग	
3	प्राध्यापक / सह – प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) एवं विभागाध्यक्षक (पॉलीटेक्निक संस्था)	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टेक.	एडवास्ड इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम	पॉवर सिस्टम एण्ड कन्ट्रोल
			इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स (पॉवर सिस्टम)	पॉवर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल ड्राईव्स
			इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम	पॉवर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड पॉवर सिस्टम्स
			इलेक्ट्रिकल एण्ड पॉवर इंजीनियरिंग	हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग
			इलेक्ट्रिकल डिवाईसेस एण्ड पॉवर सिस्टम्स	हाई वोल्टेज एण्ड पॉवर सिस्टम्स इंजीनियरिंग
			इलेक्ट्रिकल डिवाईसेस एण्ड कन्ट्रोल	पॉवर सिस्टम्स एण्ड ऑटोमेशन
			इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रानिक्स एण्ड पॉवर)	पॉवर सिस्टम्स
			इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम	ऑटोमेटिक कन्ट्रोल एण्ड रोबोटिक्स
			इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	माईक्रोप्रोसेसर सिस्टम एण्ड एप्लीकेशन
			इलेक्ट्रिकल मशीन्स	पॉवर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल मशीन ड्राईव्स
			इलेक्ट्रिकल मशीन्स एण्ड ड्राईव्स	ऑटोमेशन एण्ड कन्ट्रोल
			इलेक्ट्रिकल पॉवर एण्ड एनर्जी सिस्टम	पॉवर सिस्टम
			इलेक्ट्रिकल पॉवर इंजीनियरिंग	ऑटोमेशन एण्ड कन्ट्रोल पॉवर सिस्टम्स
			इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम	पॉवर सिस्टम्स कन्ट्रोल एण्ड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग
			पॉवर एण्ड एनर्जी इंजीनियरिंग	पॉवर सिस्टम्स इंजीनियरिंग
			पॉवर इंजीनियरिंग एण्ड एनर्जी सिस्टम्स	इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स
			पॉवर इलेक्ट्रानिक्स	इलेक्ट्रकल पॉवर आटोमेशन कन्ट्रोल
			पॉवर प्लान्ट इंजीनियरिंग एण्ड एनर्जी मैनेजमेन्ट	इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम्स
			पॉवर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कन्ट्रोल	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग
			पॉवर एण्ड इंडस्ट्रियल ड्राईव्स	
			पॉवर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड मशीन ड्राईव्स	
4	प्राध्यापक / सह – प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) एवं विभागाध्यक्षक (पॉलीटेक्निक संस्था)	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टेक.	एडवास्ड इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम	पॉवर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल ड्राईव्स
			इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स (पॉवर सिस्टम)	पॉवर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड पॉवर सिस्टम्स
			इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम	हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग
			इलेक्ट्रिकल एण्ड पॉवर इंजीनियरिंग	हाई वोल्टेज एण्ड पॉवर सिस्टम्स इंजीनियरिंग
			इलेक्ट्रिकल डिवाईसेस एण्ड पॉवर सिस्टम्स	पॉवर सिस्टम्स एण्ड ऑटोमेशन
			इलेक्ट्रिकल डिवाईसेस एण्ड कन्ट्रोल	पॉवर सिस्टम्स
			इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रानिक्स एण्ड पॉवर)	ऑटोमेटिक कन्ट्रोल एण्ड रोबोटिक्स
			इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम	माईक्रोप्रोसेसर सिस्टम एण्ड एप्लीकेशन
			इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	पॉवर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल मशीन ड्राईव्स
			इलेक्ट्रिकल मशीन्स	ऑटोमेशन एण्ड कन्ट्रोल
			इलेक्ट्रिकल मशीन्स एण्ड ड्राईव्स	पॉवर सिस्टम
			इलेक्ट्रिकल पॉवर एण्ड एनर्जी सिस्टम	ऑटोमेशन एण्ड कन्ट्रोल पॉवर सिस्टम्स
			इलेक्ट्रिकल पॉवर इंजीनियरिंग	पॉवर सिस्टम्स कन्ट्रोल एण्ड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग
			इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम	पॉवर सिस्टम्स इंजीनियरिंग
			पॉवर एण्ड एनर्जी इंजीनियरिंग	इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स
			पॉवर इंजीनियरिंग एण्ड एनर्जी सिस्टम्स	इलेक्ट्रिकल पॉवर आटोमेशन कन्ट्रोल
			पॉवर इलेक्ट्रानिक्स	इलेक्ट्रिकल पॉवर सिस्टम्स
			पॉवर प्लान्ट इंजीनियरिंग एण्ड एनर्जी मैनेजमेन्ट	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग
			पॉवर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कन्ट्रोल	
			पॉवर एण्ड इंडस्ट्रियल ड्राईव्स	
			पॉवर इलेक्ट्रानिक्स एण्ड मशीन ड्राईव्स	
			पॉवर सिस्टम एण्ड कन्ट्रोल	

क्रमशः

क्र.	संवर्ग	मूल उपाधि (बी.ई. / बी.टेक.)	स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रासंगिक शाखा (एम.ई. / एम.टेक. / एम.एस.)	
1	2	3	4	
5	प्राध्यापक / सह – प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) एवं विभागाध्यक्षक (पॉलीटेक्निक संस्था)	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टेक.	कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	माईक्रोवेव एण्ड आप्टिकल कम्युनिकेशन
			टेलीकॉम सिस्टम इंजीनियरिंग	माईक्रोवेव एण्ड रेडार इंजीनियरिंग
			डिजिटल कम्यूनिकेशन	माईक्रोवेव एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग
			इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन	माईक्रोवेव एण्ड मिलीमीटर इंजीनियरिंग
			कम्यूनिकेशन एण्ड सिग्नल प्रोसेसिंग	माईक्रोवेव एण्ड टी.वी. इंजीनियरिंग
			डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग	माईक्रोवेव इंजीनियरिंग
			एडवांस्ड कम्यूनिकेशन	मोबाईल कम्यूनिकेशन एण्ड नेटवर्किंग टेक्नालॉजी
			एडवान्स्ड कम्यूनिकेशन एण्ड इंफर्मेशन सिस्टम्स	मोबाईल टेक्नालॉजी
			एडवान्स्ड इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	माडर्न कम्यूनिकेशन इजीनियरिंग
			कम्यूनिकेशन एण्ड इंफर्मेशन सिस्टम	नेटवर्किंग एण्ड कम्यूनिकेशन
			कम्यूनिकेशन इजीनियरिंग	रेडार एण्ड कम्यूनिकेशन
			फाईबर आप्टिक्स एण्ड लाईटवेव इंजीनियरिंग	रेडियो फ्रिक्वेन्सी एण्ड माइक्रोवेब इंजीनियरिंग
			कम्यूनिकेशन नेटवर्क्स	रिमोट सेसिन्ग एण्ड वायरलेस सेन्सर नेटवर्क
			कम्यूनिकेशन सिस्टम्स	सिग्नल प्रोसेसिंग एण्ड कम्यूनिकेशन
			कम्यूनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग	सिग्नल प्रोसेसिंग एण्ड व्ही.एल.एस.आई. टेक्नालॉजी
			डिजिटल कम्यूनिकेशन	व्ही.एल.एस.आई. एण्ड एम्बेडेड सिस्टम
			डिजिटल कम्यूनिकेशन एण्ड नेटवर्किंग	व्ही.एल.एस.आई. सिस्टम डिजाईन
			डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	व्ही.एल.एस.आई. एण्ड नेनो टेक्नालॉजी
			डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन सिस्टम्स	वायरलेस एण्ड मोबाईल कम्यूनिकेशन
			डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग	वायरलेस कम्यूनिकेशन एण्ड कम्प्यूटिंग
			डिजिटल सिस्टम एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	वायरलेस कम्यूनिकेशन सिस्टम एण्ड नेटवर्क्स
			इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	वायरलेस कम्यूनिकेशन एण्ड टेक्नलॉजी
			इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	वायरलेस नेटवर्क्स एण्ड एप्लीकेशन्स
			इलेक्ट्रानिक्स डिजाईन एण्ड टेक्नालॉजी	इंडास्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स
			इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स एण्ड कम्यूनिकेशन	इस्ट्रुमेन्टेशन एण्ड कन्ट्रोल
			एम्बेडेड एण्ड रियल टाईम सिस्टम्स	
			एम्बेडेड सिस्टम एण्ड व्ही.एल.एस.आई. डिजाईन	
			एम्बेडेड सिस्टम्स	
			इमेज प्रोसेसिंग	
			माईक्रोइलेक्ट्रानिक्स एण्ड व्ही.एल.एस.आई. डिजाईन	
6	प्राध्यापक / सह – प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) एवं विभागाध्यक्षक (पॉलीटेक्निक संस्था)	इफार्मेशन टेक्नालॉजी या कम्प्यूटर साईस एण्ड इजीनियरिंग में बी.ई. / बी.टेक.	कम्प्यूटर इजीनियरिंग एण्ड एप्लीकेशन	हाई परफार्मेन्स कम्प्यूटिंग
			कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्किंग	इंफर्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टेक्नालॉजी
			कम्प्यूटर नेटवर्किंग एण्ड इंजीनियरिंग	इंफर्मेशन सिक्यूरिटी
			कम्प्यूटर नेटवर्क्स	इंफर्मेशन सिक्यूरिटी मैनेजमेन्ट
			कम्प्यूटर नेटवर्क्स एण्ड इंफर्मेशन सिक्यूरिटी	इंफर्मेशन सिस्टम
			कम्प्यूटर नेटवर्क एण्ड इंटरनेट सिक्यूरिटी	इंफर्मेशन टेक्नालॉजी
			कम्प्यूटर साईस एण्ड इंजीनियरिंग	इंफर्मेशन टेक्नालॉजी (आर्टिफिसियल इंटिलिजेन्स एण्ड रोबोटिक्स)
			कम्प्यूटर साईस एण्ड इंफर्मेशन सिक्यूरिटी	इंफर्मेशन टेक्नालॉजी (इंफर्मेशन एण्ड साईबर वारफेयर)
			कम्प्यूटर साईस एण्ड इंफर्मेशन सिस्टम	आई.टी. सिस्टम एण्ड नेटवर्क सिक्यूरिटी
			कम्प्यूटर साईस एण्ड इंफर्मेशन टेक्नालॉजी	नेटवर्क सिक्यूरिटी एण्ड मैनेजमेन्ट
			कम्प्यूटर साईस एण्ड सिस्टम इंजीनियरिंग	नेटवर्किंग एण्ड कम्यूनिकेशन
			कम्प्यूटर साईस एण्ड टेक्नालॉजी	नेटवर्किंग एण्ड इंटरनेट इंजीनियरिंग
			कम्प्यूटर सिस्टम एण्ड टेक्नालॉजी	साफ्टवेयर इंजीनियरिंग
			कम्प्यूटर टेक्नालॉजी	साफ्टवेयर सिस्टम्स
			कम्प्यूटर टेक्नालॉजी एण्ड एप्लीकेशन	सिस्टम एण्ड नेटवर्क सिक्यूरिटी
			कम्प्यूटर विजन एण्ड इमेज प्रोसेसिंग	वेब टेक्नालॉजीस
			साईबर फोरेन्सिक्स	वायरलेस एण्ड मोबाईल कम्प्यूटिंग
			साईबर फोरेन्सिक एण्ड एफर्मेशन सिक्यूरिटी	कम्प्यूटर इंजीनियरिंग
			साईबर सिक्यूरिटी	इंफर्मेशन साईस एण्ड टेक्नालॉजी
			डाटा साईस एण्ड एनालिटिक्स	इंफर्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड इंजीनियरिंग
			डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग	

क्रमशः

क्र.	संवर्ग	मूल उपाधि (बी.ई. / बी.टेक.)	स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रासंगिक शाखा (एम.ई. / एम.टेक. / एम.एस.)	
1	2	3	4	
7	प्राध्यापक / सह – प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक (इंजीनियरिंग महाविद्यालय) एवं विभागाध्यक्षक (पॉलीटेक्निक संस्था)	मेकेनिकल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मे बी.ई. / बी.टेक.	एडवांस्ड कम्प्यूटर एडेड डिजाईन	मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ऑटोमेशन
			एडवांस्ड डिजाईन एण्ड मेन्यूफेक्चरिंग	मेन्यूफेक्चरिंग इंजीनियरिंग
			एडवांस्ड मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड मेकेनिकल सिस्टम डिजाईन	मेन्यूफेक्चरिंग प्रोसेस
			एडवांस्ड मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड सिस्टम	मेन्यूफेक्चरिंग प्रोसेस एण्ड ऑटोमेशन
			एडवांस्ड मेन्यूफेक्चरिंग टेक्नालॉजी	मेन्यूफेक्चरिंग सिस्टम एण्ड मैनेजमेन्ट
			एडवांस्ड प्रोडक्शन सिस्टम	मेन्यूफेक्चरिंग सिस्टम एण्ड इंजीनियरिंग
			एडवांस्ड मेन्यूफेक्चरिंग सिस्टम	मेन्यूफेक्चरिंग टेक्नालॉजी
			ऑटोमेटेड मेन्यूफेक्चरिंग सिस्टम ऑटोमेशन	मेन्यूफेक्चरिंग टेक्नालॉजी एण्ड ऑटोमेशन
			ऑटोमेशन एण्ड रोबोटिक्स	मेकेनिकल इंजीनियरिंग
			ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग	मेकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट
			ऑटोमोटिव सिस्टम (मेकेनिकल / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग)	लाईफ साईकल
			आटोमोटिव टेक्नालॉजी	मेकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाईन
			कैड / कैम / सी.ए.ई. (मैकेनिकल / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग)	मेकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट
			कम्प्यूटेशनल मेकेनिक्स (मेकेनिकल / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग)	डिजाईन एण्ड डेवलपमेन्ट
			कम्प्यूटर एडेड एनालिसिस एण्ड डिजाईन (मेकेनिकल / प्रोडक्शन इजीनियरिंग)	मेकेनिकल सिस्टम डिजाईन
			कम्प्यूटर एडेड डिजाईन (मेकेनिकल / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग)	मेकेनिकल (कम्प्यूटर इंटिग्रेटेड मेन्यूफेक्चरिंग)
			कम्प्यूटर एडेड डिजाईन एण्ड कम्प्यूटर एडेड मेन्यूफेक्चरिंग (कैड / कैम) (मेकेनिकल / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग)	मेकेनिकल (मेकाट्रॉनिक्स)
			कम्प्यूटर एडेड डिजाईन एण्ड मेन्यूफेक्चरिंग	प्रोडक्शन इंजीनियरिंग
			कम्प्यूटर एडेड डिजाईन मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ऑटोमेशन	प्रोडक्शन डिजाईन एण्ड डेवलपमेन्ट
			कम्प्यूटर एडेड डिजाईन मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड इंजीनियरिंग	प्रोडक्शन डिजाईन एण्ड मेन्यूफेक्चरिंग
			कम्प्यूटर एडेड डिजाईन मेन्यूफेक्चरिंग एण्ड ऑटोमेशन	प्राडक्शन एण्ड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग
			क्रायोजेनिक इजीनियरिंग	प्रोडक्शन इंजीनियरिंग
			डिजाईन एण्ड प्रोडक्शन डिजाईन एण्ड थर्मल इंजीनियरिंग	प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एण्ड इंजीनियरिंग डिजाईन
			डिजाईन एण्ड प्रोडक्शन डिजाईन इंजीनियरिंग	प्रोडक्शन इंजीनयरिंग सिस्टम टेक्नालॉजी
			डिजाईन फॉर मेन्यूफेक्चरिंग	प्रोडक्शन मैनेजमेन्ट
			डिजाईन ऑफ मेकेनिकल इक्यूपमेन्ट	प्रोडक्शन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट
			डिजाईन ऑफ मेकेनिकल सिस्टम्स	थर्मल सिस्टम एण्ड डिजाइन
			इंजीनियरिंग डिजाईन	थर्मल पावर एण्ड इंजीनियरिंग
			फ्यूल एण्ड कम्बशन	थर्मल इंजीनियरिंग
			गैस टर्बाईन टेक्नालॉजी	थर्मल साइंस एण्ड इंजीनियरिंग
			हीट एण्ड पावर इंजीनियरिंग	टूल इंजीनियरिंग
			हीट पावर एण्ड थर्मल इजीनियरिंग	टूल डिजाईन
			इंडस्ट्रियल एण्ड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग	इंडस्ट्रियल प्रोसेस इक्यूपमेन्ट डिजाईन
			इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एण्ड रोबोटिक्स	मेकेनिकल थर्मल इंजीनियरिंग
			इंडस्ट्रियल डिजाईन	वर्चुअल प्रोटोटाईप एण्ड डिजिटल
			इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग	मेन्यूफेक्चरिंग (मेकेनिकल / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग)
			इंडस्ट्रियल इजीनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट	वेल्डिंग टेक्नालॉजी एण्ड इंजीनियरिंग
			इंडस्ट्रियल सिस्टम इंजीनियरिंग	
			मशीन डिजाईन	
			मशीन डिजाईन एण्ड रोबोटिक्स	

शिक्षकीय पदों की शैक्षणिक अर्हता के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा जारी नियम/ विनियम/ निर्देश/ अनुशंसा लागू होंगे।

परिशिष्ट–दो,
"ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी"

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:–

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

(1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल आई.डी. इत्यादी की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्ट किए गए मोबाइल नम्बर व ई–मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाईल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाईल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाईल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाईल नंबर व ई–मेल आई.डी. पर दी जाएंगी।

(2). सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर लेने के पश्चात अभ्यर्थी मोबाईल व ई–मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि रसीद पर Payment Staus के सामने Payment Done मुद्रित हो ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उक्त रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रुप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रुप से देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

(4). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। निर्धारित भुगतान विकल्प (कैश डिपोजिट) चुनकर, अभ्यर्थी शुल्क का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में कैश या चेक के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस तक कर सकते हैं। कैश या चेक के माध्यम से शुल्क भुगतान के अगले दिन अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

(5). **ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश:**– आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु **विज्ञापन जारी होने की तिथि** या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउन्ड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल फोटो को ही स्केन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। भविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(6). **ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:**– ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्केन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्केन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं।

(7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है की सही–सही प्रविष्टि की जाए।

(8). **आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।**

(9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद स्वतः खुलने वाले Page पर आवेदक द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर के साथ–साथ भुगतान की स्थिति व आवेदन क्रमांक की सूचना मिलेगी। यही ऑनलाइन आवेदन की रसीद होगी। आवेदक उक्त Page पर उपलब्ध Print बटन को क्लिक कर आवेदन की रसीद का प्रिंटआउट प्राप्त कर अपने पास अवष्य रखें। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आवेदन की रसीद पर Payment Status के सामने Payment Done अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आपके ऑनलाइन आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार हेतु ऑनलाइन आवेदन के दौरान मोबाईल व ई–मेल पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. तथा पासवर्ड के साथ–साथ एडिट पासवर्ड जो कि एडिट हेतु पृथक से मोबाईल व ई–मेल पर प्रदान किया जाएगा का प्रयोग करना होगा। त्रुटि सुधार शुल्क के रुप में अभ्यर्थी को रुपये 15/– (सेवा कर पृथक) का भुगतान करना होगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। **अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।** आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि त्रुटि सुधार पश्चात् प्राप्त आवेदन की रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आवेदक द्वारा किया गया त्रुटि सुधार मान्य नहीं होगा।

(11). **आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई**

क्रमशः

किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।

(12). ऑनलाईन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :–

(i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रुपये 15/– (सेवा कर पृथक) देय होगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा रुपये 15/– (सेवा कर पृथक) का त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। एक आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

(iii) प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रुप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क रुपये 15 (सेवा कर पृथक) के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

(iv) परीक्षा शुल्क, त्रुटि सुधार शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोटः–

(i) आवेदक रसीद में दी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें।

(ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।

(iv) कार्ड/नेटबैंकिंग/कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग/हैंकिग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्रः–

(1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रुप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।

(4) अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु *मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियो को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/डाकघर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे–पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित* में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

□□□